21/5/2018

दूरभाष सं0–0522–2312029
Email-cd7lko@upavp.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–सप्तम्
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

आफिस काम्पलेक्स (द्वितीय तल), भूतनाथ मन्दिर मार्ग, इन्दिरा नगर, लखनऊ

पत्रांक : / / दिनांक :

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि लखनऊ महानगर की आवासीय समस्या के समाधान हेतु शहीद पथ के किनारे सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना **(अवध विहार योजना)** लखनऊ नामक आवासीय योजना का उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालन किया जा रहा है जिसमें निहित ग्राम हरिहरपुर, सरसंवा, अहमामऊ, घुसवल कला, बरौली खलीलाबाद, सेवई, देवामऊ एवं बरौना की भूमि का उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत विधिवत अर्जन किया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्राम हरिहरपुर, सरसंवा, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद, सेवई एवं बरौना की ग्रीन बेल्ट, फायरिंग रेन्ज एवं डेन्जर जोन की भूमि भी सम्मिलित है, जिसकी धारा–28 का प्रकाशन दिनांक 07.08.2004 तथा धारा–32 का प्रकाशन दिनांक 07.10.2006 को किया गया है। इस योजना क्षेत्र में भूमि का कय–विकय (खरीद–फरोख्त) अथवा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के किसी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

संज्ञान में आया है कि कतिपय लोगों द्वारा योजना क्षेत्र में स्थित भूमि का अवैध रूप से कय–विकय (खरीद–फरोख्त) एवं अवैध रूप से निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है जो कि अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि परिषद की अवध विहार योजना क्षेत्र में कोई भी कय–विकय (खरीद–फरोख्त) न किया जाय एवं जिनके द्वारा कोई भी निर्माण/विकास कार्य कराया गया है वह अपना निर्माण इस नोटिस की प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर अवश्य हटा लें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगें एवं इसके लिये बाद में उनका कोई क्लेम/दावा मान्य नही होगा।

(यू0सी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 897 / 4-5 / 160 दिनांक 18.5.18